छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

क्रमांक 4524 /मु.ले.अ./ले.शा./मुख्या./2012 रायपुर, दिनांक 09/10/2012

प्रति,

कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग 1/2/3/4 रायपुर, राज. परि. सं. 1/2 रायपुर/
परि0 सं. दुर्ग/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/
जगदलपुर/कोरबा।

विषयः– मण्डल द्वारा आयोजित शिविर में हितग्राहियेा से वसूली की कार्यवाही।

----000----

दिनांक 09.10.12 को मण्डल मुख्यालय में आयोजित समीक्षा/समय सीमा बैठक में आयुक्त महोदय के द्वारा मण्डल के संभाग कार्यालयो तथा मण्डल के कॉलोनियों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये है। इन शिविरों में हितग्राहियों के अधिपत्य आदेश दिये जाने तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ हितग्राहियों से किस्त आदि कि राशि वसूली हेतु भी आदेश दिये गये है। तत्संबंध में लेख है कि कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि मण्डल द्वारा आयोजित वसूली शिविर में वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए अनुचित तरीके से तथा अनाधिकृत स्टॉफ के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की गई जिससे कि अनेक त्रुटिया परिलक्षित हुई है।

अतः संभाग द्वारा आयोजित शिविर में वसूली संबंधि कार्यवाही हेतु सहायक संपत्ति प्रबंधक/लेखापाल को उनके नाम से मनीरसीद बुक फार्म–B ज़ारी की जावें हितग्राहियों से नगद राशि/ड्राफ्ट/चेक प्राप्त कर दोनो सतह वाले कार्बन का उपयोग करते हुए तीन प्रतियों में रसीद जारी कि जावें। प्रथम प्रति राशि जमा करने वाले हितग्राहि को प्रदान की जावें। द्वितीय प्रति सम्पूर्ण बिल के संग्रह विवरण के साथ कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी को प्रस्तुत की जावें। इस विवरण के अनुसार कुल संग्रह की गई राशि यदि बैक में जमा की जाती है, तो चालान की प्रति, संग्रह विवरण तथा फार्म–B की द्वितीय प्रतियॉ कार्यालय में प्रस्तुत की जावें एवं विवरण पत्र की एक प्रति अंकेक्षण हेतु संग्रह कर्ता अपने पास संधारित करें यदि राशि बैंक के स्थान पर सीधे कार्यालय में जमा की जाती है तो चालान के स्थान पर मनीरसिद बुक फार्म–A के माध्यम से पूर्ण राशि जमा की जावेगी तथा विवरण पत्र एवं मनीरसिद बुक फार्म–B की द्वितीय प्रतियॉ केशबुक/लेजर संधारण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत की जावेंगी। डेली कलेक्शन का विवरण पत्र मण्डल के संपदा प्रबंधन लेखा प्रपत्र क्रमांक–10 के अनुरूप तैयार किया जाना है जो कि निम्नानुसार है :–

क्र	फार्म–B पुस्तक क्र. /रसीद क्र.	राशि प्राप्ति दिनांक	भवन क्र. /प्रकार	कॉलोनी /स्थान	योजना	आंबटि/हितग्राहि का नाम	जमा राशि का मद	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्रमशः.......2.......

प्रमाणिकरण :– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण पत्र के साथ फार्म–B रसीद क्र......... से .... तक की डुप्लीकेट प्रति संलग्न है। मूल प्रतियॉ जमाकर्ता हितग्राहियों को प्रदान की गई है। कुल जमा राशि रू. .... चालान क्रमांक/दिनांक .... बैंक.................... /मनीरसीद फार्म–A क्र............... दिनांक....................... द्वारा जमा की गई है।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम–

पद–

उपरोक्तानुसार संग्रहित की गई राशि उसी दिनांक को अथवा आगामी कार्य दिवस पर बैंक/कार्यालय में जमा कर दी जानी चाहिए चैक द्वारा प्राप्त राशि की रसीद पर "सब्जेक्ट टू रिएलाईजेशन" अंकित किया जाना है। फार्म–B की तृतीय प्रतियॉ संग्रहकर्ता के द्वारा अंतिम रसीद जारी करने के तुरन्त पश्चात् कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी के द्वारा फार्म–B कि तृतीय प्रतिया अकेक्षण हेतु सुरक्षित रखी जावें।

09/10/2012

मुख्य लेखा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर

पृ.क्रमांक 4525/मु.ले.अ./ले.शा./मुख्या./2012 — रायपुर, दिनांक 09/10/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
3. उपायुक्त–**I** (योजना), **II** (विकास) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
4. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
6. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।

09/10/2012

मुख्य लेखा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर

4794
11-10-12